सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2026 / 50

दर्ज दिनांक : 09.04.2026

1. इकबाल बहलीम पुत्र इलियास बहलीम जाति कसाई निवासी ग्राम भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1. अनारदेइ पत्नी स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
2. रेणु पुत्री स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
3. राजकुमार पुत्र स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
4. शलेश कुमार स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
5. सोहनलाल पुत्र स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज)

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री नन्दराम राहड़, श्री सुरेन्द्र राहड़
प्रतिवादीगणः–एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथिः– 17.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अन्तर्गत धारा–53 वास्ते तकासमा व चिरस्थाई व्यादेश ... प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ... के कब्जा, काश्त उपभोग व उपभोग की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 973 / 345 तादादी 10. 1424 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 10.1424 हैक्टेयर वाके रोही गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज) में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, जिसमें वादी का 100 / 401

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

हिस्सा कृषि भूमि की खातेदारी है एवम् प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 की राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार हिस्सेदारी है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रमाणित प्रतिलिपी दावा हाजा के साथ पेश है।

2. कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 973/345 तादादी 10.1424 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 10.1424 हैक्टेयर वाके रोही गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज) में स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 बाहमी विभाजन के अनुसार अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है, जिसके मुताबिक मौके पर नीचे लिखे अनुसार कृषि भूमि 10.1424 हैक्टेयर पर अलग अलग कब्जा है, वादी की ओर से एनेक्चर "अ" पेश किया जा रहा है। उसमें वादी का हिस्सा लाल स्याही से दर्शाया जा रहा है, व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का हिस्सा हरे रंग से दर्शाया जा रहा है। उस मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 0.5 का कब्जा काश्त मौके पर मद संख्या 02 के उपमद (क) में अंकित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा व लगान अलग कायम किया जावे।

(क) वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 की संयुक्त कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 973/345 तादादी 10.1424 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 10.1424 हैक्टेयर वाके रोही गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज) में 100/401 हिस्सा उत्तरी तरफ का व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का दक्षिणी तरफ का हिस्सा कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो एनेक्चर "ए" में दर्शित किया गया है, उसी मुताबिक खाता विभाजन किया जावें।

3. उक्त कृषि भूमियों में वादी एवं प्रतिवादी सं 01 ता 05 के मध्य वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। उक्त कृषि भूमि अविभाजित चली आ रही है। इस कारण हिस्साकसी को लेकर तथा सीमांकन को लेकर पक्षकारों में विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढ़ने का अन्देशा है। वादी ग्राम भालेरी रहता है, जो रोज रोज आकर अपनी कषि भूमि की सम्भाल करने में असक्षम है, इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्से की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अलग से ही खाता कायम करवा लेंवे।

4. वादी शान्ति प्रिय व्यक्ति है, जो अपने कब्जे व हिस्से की भूमि का काश्त करता है व काबिज चला आ रहा है और अपने हिस्से की भूमि को शान्ती पूर्ण तरीके से कब्जे में रखना चाहता है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी कृषि भूमि का बाहमी बंटवारा मौखिक तौर पर कर उसी के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है।

5. वादी ने अपने हिस्सा की भूमि विभाजन करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को काफी बार कहा एवं कहलवाया कि वो साथ चलकर अपने–अपने हिस्से का सहमति से विभाजन करवा लेंवे। परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी की बात नही मानी और आखिरकार दिनांक 07. 04. 2026 को सहमति से विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिए यही इस दावे का वाद कारण है और वादी उक्त कृषि भूमि में हिस्सेदार, सह खातेदार, कब्जेदार होने के कारण उन्हे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।

6. दावा कृषि भूमि के विभाजन का है इसलिये [illegible] महोदय चूरू को तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी संख्या 06 बनाया [illegible] के हित पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा [illegible] पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

7. वादगत कृषि भूमि वाके रोही गाजसर तहसील व जिला चूरू में स्थित होने के कारण वाद श्रीमानजी के श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार का है।

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे।

(क) कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 973 / 345 तादादी 10.1424 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल तादादी 10.1424 हैक्टेयर वाके रोही गाजसर तहसील व जिला चूरू (राज) मे से वादी का 100 / 401 हिस्सा उत्तरी तरफ का व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 का दक्षिणी तरफ का हिस्सा कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो एनेक्चर "ए" में दर्शित किया गया है, के अनुसार वादी के 100 / 401 हिस्से को विभाजित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम व तकसीम किया जाकर अलग से पासबुक जारी की जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी सं 01 ता 05 से दिलवाया जावे अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

8. वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में आने योग्य होने से वाद को वाद रजिस्टर में दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को विधिवत सम्मन द्वारा तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब / हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी होने के कारण केवल औपचारिक पक्षकार के रूप में अभिलेख पर लिया गया है।

9. प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि वाद मुख्यतः अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है तथा वादग्रस्त भूमि की संयुक्त खातेदारी एवं वादी का हिस्सा अभिलेखों से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। अतः प्रकरण में पृथक से तनकीयात निर्धारित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। वादी द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्यों पर ही निर्भर रहने का निवेदन किया गया, अतः वादी साक्ष्य बन्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के एकपक्षीय रहने से प्रतिवादी साक्ष्य भी बन्द किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण में पक्षकारों के साक्ष्य समाप्त किये जाने के पश्चात प्रकरण को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया।

10. प्रकरण बहस हेतु नियत होने पर वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अंतिम बहस प्रस्तुत की गई, वादी की ओर से विनम्र निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 973 / 345, रकबा 10.1424 हैक्टेयर, निर्विवाद रूप से वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का 100 / 401 हिस्सा राजस्व अभिलेख से पूर्णतः सिद्ध एवं प्रमाणित है। यह भी अभिलेखों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का आज दिनांक तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, यद्यपि पक्षकार आपसी मौखिक बंटवारे के अनुसार पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी का कब्जा उत्तरी भाग पर होना एनेक्चर "ए" से स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। न्यायालय द्वारा समुचित अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही वादी के दावे का खण्डन किया है ऐसी स्थिति में न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप वादी के 100 / 401 हिस्से का विधिवत विभाजन कर उसे पृथक खातेदारी प्रदान की जाए तथा राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन (नक्शा तरमीम) कर वादी को पृथक पासबुक जारी की जाए। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार कर प्रार्थना अनुसार डिक्री पारित करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

11. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 973 / 345, रकबा 10.1424 हैक्टेयर, स्थित रोही गाजसर, तहसील व जिला चूरू के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र, प्रस्तुत अभिलेखीय

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

साक्ष्य एवं उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादी का 100/401 हिस्सा जमाबंदी अभिलेखों से विधिवत प्रमाणित है। यह भी अभिलेखों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का आज दिनांक तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, यद्यपि पक्षकारों द्वारा आपसी मौखिक बंटवारे के अनुसार पृथक–पृथक कब्जा काश्त किया जाता रहा है। प्रतिवादीगण को विधिवत समन तामील कराए जाने के उपरांत भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा न ही वादी द्वारा प्रस्तुत दावे का खण्डन किया गया। फलस्वरूप प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण मुख्यतः अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है। किसी भी पक्ष द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विवाद का निस्तारण राजस्व अभिलेखों के आधार पर किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। यह विधिसम्मत सिद्धान्त है कि संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक सह–खातेदार को अपने हिस्से के अनुसार पृथक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्राप्त है। विभाजन की कार्यवाही कब्जा काश्त व बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किये जाने का प्रावधान राजस्व नियमों में निहित है, जिससे प्रत्येक पक्षकार को न्यायोचित एवं सुविधाजनक हिस्सा प्राप्त हो सके। राजस्व अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि वादी सहखातेदार है तथा उसे वादग्रस्त भूमि में विधिसम्मत हिस्सा प्राप्त है। अतः वादी विभाजन प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में अब तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा भविष्य में विवाद की सम्भावना बनी हुई है, अतः भूमि का विधिवत खाता विभाजन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य अप्रतिवादित एवं विश्वसनीय सिद्ध होते हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी का वाद स्वीकार किए जाने योग्य है। अतः

आदेश दिया जाता है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 973/345, रकबा 10.1424 हैक्टेयर, स्थित रोही गाजसर, तहसील व जिला चूरू में से वादी के 100/401 हिस्से का एनेक्चर "ए" के अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे। उक्त विभाजन के फलस्वरूप राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन (नक्शा तरमीम) कर वादी के नाम पृथक खातेदारी कायम की जाकर पृथक पासबुक जारी की जावे। विभाजन की कार्यवाही सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मौके पर सीमांकन कर पूर्ण की जावे। पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दावे के संलग्न एनेक्चर "ए" भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा [illegible]कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2026 / 50 दर्ज दिनांक : 09.04.2026

1. इकबाल बहलीम पुत्र इलियास बहलीम जाति कसाई निवासी ग्राम भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू (राजस्थान)

—वादी—

बनाम

1. अनारदेइ पत्नी स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
2. रेणु पुत्री स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
3. राजकुमार पुत्र स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
4. शलेश कुमार स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
5. सोहनलाल पुत्र स्व. मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी प्रतिभा नगर, सोती धर्मशाला के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री नन्दराम राहड़, श्री सुरेन्द्र राहड़
प्रतिवादीगणः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पर्चा डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि [illegible] /46, रकबा 10.1424 हैक्टेयर, स्थित रोही गाजसर, तहसील व जिला चूरू में से वादी के 100 / 401 हिस्से का एनेक्चर "ए" के अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे। उक्त विभाजन के फलस्वरूप राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन (नक्शा तरमीम) कर वादी के नाम पृथक खातेदारी कायम की जाकर पृथक

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

इकबाल बनाम अनार देई आदि
2026 / 50
निर्णय दिनांकः—17.04.2026

पासबुक जारी की जावे। विभाजन की कार्यवाही सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मौके पर सीमांकन कर पूर्ण की जावे। पक्षकार अपना—अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दावे के संलग्न एनेक्चर "ए" भविष्य में दावा एवं डिक्री का भाग व जूज माना जावेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरू को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 17.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

(सुनील कुमार—I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:29:42 IST
Reason: SelfAttested